रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 1999/श्रावण 29, 1921
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 1999/SRAVANA 29, 1921

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1999

सा. का. नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"6क. दूरदर्शन चैनलों का मुख्य बैन्ड में उपग्रह मोड पर स्थलीय संकेतों में बाधा डाले बिना प्रारेषण :—

प्रत्येक केबल आपरेटर —

(क) अपने केबल नेटवर्क पर दूरदर्शन के कम से कम दो चैनलों का मुख्य बैन्ड पर स्थलीय प्रसारण आवृत्ति वाले चैनलों से भिन्न चैनल पर पारेषण करेगा ;

(ख) अपने केबल नेटवर्क पर डिश एन्टीना/टीवीआरओ द्वारा पारेषण के लिए दूरदर्शन चैनलों के उपग्रह संकेत ही प्राप्त करेगा अन्य किसी यागी एन्टीना द्वारा; और

(ग) केबल नेटवर्क पर उसी आवृत्ति बैन्ड पर कोई चैनल पारेषित नहीं करेगा जिसपर डीडी-I और डीडी-II दूरदर्शन चैनलों का स्थलीय पारेषण होता है, जिससे कि बाधा से बचा जा सके ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए पद—

"मुख्य बैन्ड", विद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बैन्ड -I के अन्तर्गत आने वाले चैनलों (चैनल 2 से 4 जिनकी रेंज 47 से 68 मेगा हर्ट्ज है) और बैन्ड -III (चैनल 5 से 12 जिनकी रेंज 174 से 230 मेगा हर्ट्ज है) से संबंधित आवृत्तियों को, जो साधारण टी.वी. सेटों पर बिना एड-आन यूनिट या विशेष ट्यूनर के उपयोग के उपलब्ध हैं, अन्तर्विष्ट करता है ।"

[फा. सं. 9/3/99-पीबीसी]

राम चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम सा0का0नि0 729(अ) तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा0का0नि0 453(अ) तारीख 29 मई, 1995, सा0का0नि0 820(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 1995 और सा0का0नि0 459(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1996 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 1999

G. S. R. 597(E).— in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, the Central Government makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, after rule 6 the following rule shall be inserted, namely:-

"6A - Transmission of Doordarshan channels in prime band in satellite mode without interference to terrestrial signal:-

Each cable operator shall -

(a) transmit at least two Doordarshan channels on their cable network in the prime band on channels other than those carrying terrestrial broadcast frequencies;

(b) take only satellite signals of Doordarshan channels for transmission on their cable network by dish

antenna/TVRO and not yagi antenna; and

(c) not transmit any channel on the cable network in the same frequency band in which Doordarshan channels DD-I and DD-II are transmitted terrestrially, so as to avoid interference.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression

"Prime Band" constitutes frequencies relating to channels falling in the Band I (channels 2 to 4 ranging from 47 to 68 MHz) and Band III (Channels 5 to 12 ranging from 174 to 230 MHz) of electromagnetic spectrum, which are receivable by conventional TV sets without using any add-on unit or special tuner".

[File No. 9/3/99–PBC]
R. C. MISHRA, Jt. Secy.

Foot Note:- The principal rules were published vide G.S.R. 729(E) dated 29th September, 1994 and subsequently amended vide G.S.R. 453(E) dated 29th May, 1995, G.S.R. 820(E) dated 28th December, 1995 and G.S.R. 459(E) dated 8th October, 1996.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999